निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा
बेज न0. 03–06, द्वितीय मंजिल, सैक्टर –02, पंचकूला। दूरभाष न0. 0172–2570121
ईमेल:–Supplies@hry.nic.in

प्रेस नोट

क्रमांक:–डी.एस.डी / प्रशासन / ई.ए–2 / 2026–27 / 2244 दिनांक:– 08.05.2025

1. **पृष्ठभूमि:–**

कार्यालय में वैधानिक अनुपालनों के निर्वहन हेतू एक पेशेवर पंजीकृत चार्टर्ड अकांउटेंट / सी.ए फर्म की सेवाओं की आवश्यकता है, जिसमें खातों का ऑडिट प्रमाणीकरण तथा जी.एस.टी रिर्टन की समयबद्व फाइलिंग शामिल है।

2. **कार्य का दायरा:–**

चयनित फर्म द्वारा नीचे दिए गए निम्नलिखित कार्य किए जांएगे:–

- लागू नियमों / मानकों के अनुसार खातो का ऑडिट
- वितीय विवरणों एवं अभिलेखो का प्रमाणीकरण
- जी.एस.टी रिर्टन की तैयारी एवं फाइलिंग (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक)
- जी.एस.टी डेटा का मिलान एवं अभिलेखों का रख–रखाव
- कराधान एवं वैधानिक अनुपालन संबधी परामर्श
- आवश्यकता अनुसार आंतरिक / बाहा ऑडिट में सहयोग

3. **नियम एव शर्ते:–**

- उपरोक्त कार्य में फर्म का कम से कम दो वर्ष का अनुभव किसी भी सरकारी संस्थान में होना अनिवार्य है।
- फर्म का विधिवत पंजीकृत चार्टर्ड अकांउटेंट फर्म होना आवश्यक होगा।
- नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे कार्य–निष्पादन के आधार पर बढाया जा सकेगा।
- गोपनीयतर बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- भुगतान स्वीकृत दरों के अनुसार एवं कार्य संतोषजनक पाए जाने पर किया जाएगा।
- सभी वैधानिक समय–सीमाओं का पालन फर्म की जिम्मेदारी होगी।
- अन्य शर्ते सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।

4. **चयन की प्रकिया:–**

- भाग लेने वाली सभी फर्मो में से केवल एल–01 फर्म का चयन किया जाएगा जो उपरोक्त सभी मापदण्ड एवं शर्तो को पूरा करेगी।
- फर्म का चयन मापदण्ड एवं शर्तो की समीक्षा के उपरांत गोपनीयता के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित फर्म को उपरोक्त नियम एवं शर्तों को मानते हुए एक अंडरटेकिग कार्यालय में रु10 के स्टाम पेपर पर नोटरी सत्यापितकर देनी होगी।
- भागीदार फर्मो के द्वारा अपनी निविदा वार्षिक शुल्क सहित भौतिक रुप से दिनांक 18.05.2026 तक महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा, बेज 3–6, सैक्टर– 2, पंचकूला में गोपनीयता आधार पर कार्यालय में जमा करवानी होगी।

Yutre

सहायक जिला न्यायवादी
कृते महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा।